कार्यालय अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-29.06.2024

विषयः- **उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या श्रीमती निर्मला सिंह पटेल व सदस्य इंजीनियर श्री अशोक यादव,अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध,कमिश्नरेट वाराणसी, थाना ए0एच0टी0, विशेष किशेष पुलिस इकाई की संयुक्त टीम द्वारा थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी अन्तर्गत नाबालिग लड़की की हत्या कर शव को पानी की टंकी में फेंक देने की घटना का संज्ञान लेकर घटनास्थल का निरीक्षण व पीड़ित परिवार से मुलाकात की गयी।**

आज दिनांक 29.06.2024 को उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, थाना ए0एच0टी0, विशेष किशोर पुलिस इकाई की संयुक्त टीम द्वारा थाना कैण्ट, कमिश्नरेट वाराणसी अन्तर्गत नाबालिग लड़की की हत्या कर शव को पानी की टंकी में फेंक देने की घटना का संज्ञान लेकर घटनास्थल का भ्रमण/निरीक्षण कर पीड़ित परिवार से मुलाकात की गयी तथा पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय दिलाने व आर्थिक सहायता/अनुदान राशि प्रदान करने का आश्वासन दिया गया।

- **घटना का विवरण:-** दिनांक 27.06.202 को वादिनी अनीता देवी पत्नी हीरालाल निवासिनी S-18/55 राजाबाजार, नदेसर थाना कैण्ट जनपद वाराणसी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें उनकी 13 वर्षीया पुत्री दिनांक-26.06.24 को घर से कहीं चले जाने के सम्बन्ध में थाना कैण्ट,कमिश्नरेट वाराणसी पर मु0अ0सं0-246/24 धारा 363 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। दिनांक 28.06.2024 को वादिनी की पुत्री का शव पानी की टंकी में बरामद होने व अभियुक्त की गिरफ्तारी व बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 302/201 भा.द.वि. व बढ़ोत्तरी धारा 376(A) भा.द.वि. व 5/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक अजय राज वर्मा थाना कैण्ट वाराणसी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**
  आशीष उर्फ गोलू पुत्र राम जी निवासी एस-18/55 राजाबाजार नदेसर थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 31 वर्ष।

- **<u>उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ घटनास्थल का भ्रमण/निरीक्षण करने वाली संयुक्त टीम का विवरण:-</u>**

1. श्रीमती निर्मला सिंह पटेल,सदस्य उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,उ0प्र0,लखनऊ।
2. इंजीनियर श्री अशोक यादव ,सदस्य उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग,उ0प्र0,लखनऊ।
3. श्रीमती ममता रानी,अपर पुलिस उपायुक्त,महिला अपराध,कमिश्नरेट वाराणसी।
4. श्रीमती स्नेहा उपाध्याय,अध्यक्षा,बाल कल्याण समिति वाराणसी।
5. श्रीमती निरुपमा सिंह,प्रभारी जिला बाल संरक्षण इकाई,वाराणसी।
6. श्री परमहंश गुप्त,प्रभारी थाना ए0एच0टी0,कमिश्नरेट वाराणसी।
7. श्रीमती अनीता चौहान,प्रभारी एस0जे0पी0यू0,कमिश्नरेट वाराणसी।

उ0प्र0 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संयुक्त टीम पीड़ित परिवार से वार्ता करते हुए।

सोशल मीडिया सेल
अपर पुलिस उपायुक्त
महिला अपराध,
कमिश्नरेट वाराणसी।